न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–227/2016 (जीसीएमएस नं. 2016/00077)

01. सांवलराम पुत्र पतराम,
02. छगनलाल पुत्र पतराम(मृतक)
03. प्रभूदयाल पुत्र पतराम,
04. सुशीला बेवा रामेश्वरलाल,
05. विजयकुमार पुत्र रामेश्वरलाल,
06. श्रवण कुमार पुत्र रामेश्वरलाल,
07. सुमन पुत्री रामेश्वरलाल,
08. सुखादेवी पत्नी प्रहलाद,
09. विजय पुत्र प्रहलाद,
10. छोटीदेवी बेवा रामकुमार,
11. प्रदीप कुमार पुत्र रामकुमार निवासीगण सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
02. कैलाश चन्द पत्र अर्जुनलाल, जाति ब्राहाम्ण निवासी सुरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री हेमन्त दीक्षित, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल रजाकीय अधिवक्ता एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. श्री श्यामबाबू पारीक एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 10.08.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2003 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 209 रकबा .74 हैक्टयर, खसरा नम्बर 240 रकबा .87 हैक्टयर, खसरा नम्बर 206 रकबा .70 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.31 हैक्टयर ग्राम सराय तहसील उदयपुरवाटी में रिकार्डेड सह काश्तकार है तथा उपरोक्त भूमि में पूर्व खसरा नम्बर 395, 396, 397, 398, अर्जुनदास की खातेदारी की भूमि थी जिसे दिनांक 25.08.1967 को अपीलार्थीगण ने जरिये रजिस्टड बयनामा खरीदी थी तथा उक्त भूमि बाबत ठा.मुरली मनोहर जी विराजमान वाके सुरपुरा जरिये चतरशालसिंह राजपूत वाके सुरपुरा नें उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के यहॉ दावा बाबत इश्तकरारहक स्थाई निषेधाज्ञा अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया था तथा दावा संख्या 108/1980 दिनांक 26.07.1985 को खारिज किया गया तथा दावा के दौरान धारा 212 2 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जमा राशि अपीलार्थीगण को लौटाई गई थी।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि भूमि अपीलार्थीगण के टीनेन्सी व कब्जा में चली आ रही थी तथा जिला कलक्टर झुन्झुनू ने अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 07.03.2003 को जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदारों के नाम मंदिरमूर्ति की खातेदारी जर्द करने के सम्बन्ध में देवस्थान विभाग का पत्र दिनांक 06.03.2003 भिजवाया एवं जिला कलक्टर के उक्त पत्र के आधार पर तहसीलदार उदयपुरवाटी ने नामान्तरकरण संख्या 32 अपीलार्थीगण की जगह मंदिर श्री मुरली मनोहर जी अराजकीय खातेदार के नाम नामान्तरकरण भर दिया। उन्होने आगे कथन किया है कि जिला कलक्टर ने राज्य सरकार के जनरल आर्डर सभी अधिकारियों को भेजे थे, उक्त आदेश अपीलार्थीगण के मामले में लागू नही होता है क्योंकि अपीलार्थीगण का उपरोक्त भूमि बाबत न्यायालय में दावा डिक्री हो चुका था जिसके विरूद्ध आगे कार्यवाही नही की गई थी। उन्होने आगे कथन किया है कि आयुक्त देवस्थान उदयपुर के आदेश तहत अपीलार्थीगण 26,200/–रूपये दिनांक 14.01.1984 को जिलाधीश झुन्झुनू के आदेश दिनांक 30.01.1984 जमा करा दिये थे, उक्त बाबत मुकदमा में दिनांक 22.02.1984 को अलग से आदेश पृथक हो चुके थे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि 07.03.2003 के आदेश के बाद राजस्थान सरकार ने दिनांक 24.05.2007 के आदेश जारी कर खातेदरी की भूमि पुनः मंदिर के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नही माना उसके बाद 06.01.2010 को पुनः राज्य सरकार ने 2003 व 2007 के परिपत्र के हवाले से जिन भूमियों पर अधिकार हस्तान्तरित हो गये हो को यथावत रखी जाने के आदेश पारित किये, अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तीनों आदेशों की प्रतियॉ प्रस्तुत किये जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन पर गौर न करने में भारी कानून गलती की है तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलार्थीगण की भूमि मंदिर मुरलीधर जी के हक में नामान्तरकरण भरा है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। ऐसी हालत में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार करके मामला पुनः तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाना चाहिये थो किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के अधिकारों की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.05.2016 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर तहसीलदार आदेश दिनांक 20.03.2003 एवं अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2016 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि मंदिरमूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से मंदिर की भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम नही की जा सकती ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि उक्त भूमि वादग्रस्त मंदिर श्री मुरली मनोहर जी वाके सुरपुरा की खातेदारी की भूमि है जो वर्षो पूर्व से चली आ रही है तथा कानूनन मूर्ति शाश्वत अव्यस्क होती जिसकी सम्पत्ति को अंतरण करने का अधिकार किसी को भी नही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के पक्ष में वादग्रस्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण

P.T.O.

प्रारम्भ से ही शून्य है जिसकी कानूनी कोई वैद्यता नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि देवस्थान विभाग के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 06.03.2003 की पालना में जिला कलक्टर के आदेश की पालना में तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलार्थीगण का नामान्तरकरण संख्या 32 दिनांक 20.03.2003 पुनः मंदिर मुरली मनोहरजी के नाम दर्ज किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 32 दिनांक 20.03.2003 के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ में रिट पीटीशन संख्या 2174/2005 उनवानी रामकुमार व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की की जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को भी पक्षकार बनाया गया था उक्त रिट पिटीशन उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने के करीब दो वर्ष बाद दायर की गई थी जो रिट पीटिशन को माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने दिनांक 15.09.2006 को इस फाईडिंग के साथ खारिज कर दिया कि वाकग्रस्त भूमि मूर्ति की है तथा पुजारी मूर्ति की सम्पत्ति को कानून किसी भी व्यक्ति को विक्रय नही कर सकता उक्त भूमि का प्रथम बैचान ही प्रारम्भ से ही शून्य है तथा अपीलार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के उक्त आदेश दिनांक 15.09.2006 के विरूद्ध उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष अपील संख्या 1975/2008 दायर की जिसको अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दिनांक 20.04.2010 को विड्रो कर खारिज करवा लिया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण की माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में सिविल एकल पीठ रिट याचिका संख्या 2174/2015 के निर्णय दिनांक 15.09.2006 द्वारा वादग्रस्त आराजी मंदिरमूर्ति का होना एवं पुजारी द्वारा किसी भी अन्य को भूमि बैचना का कानूनन अधिकार नही होना मानते हुए रिट पिटीशन खारिज की गई है तथा राज्य सरकार के राजस्व विभाग एवं देवस्थान/वक्फ बोर्ड के परिपत्रों द्वारा मंदिरमूर्ति शाश्वत नाबालिंग होने से मंदिरमूर्ति की आराजी का किसी भी अन्य व्यक्ति को बैचान नही किया जा सकती। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य ही रही है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2016 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2016 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर